हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 11 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 नवम्बर, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

एससी-एसटी एक्ट के तहत राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

एससी-एसटी एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटाया

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले में हाईकोर्ट ने इस एक्ट से चार जाति सूचक शब्दों को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा. भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है। मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विभाग के कार्मिकों से बहस से जुड़ा है, जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में सुनवाई करते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बैंच ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एससी-एसटी एक्ट की धाराओं से बरी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार मामला जैसलमेर के कोतवाली थाने का है। यहां 31 जनवरी 2011 को एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटनाक्रम 31 जनवरी 2011 का है। हरीश चंद्र अन्य अधिकारियों के साथ अतिक्रमण अचल सिंह द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच करने गए थे। जब वे साइट का नाप कर रहे थेए तब अचल सिंह ने सरकारी अधिकारी हरीश चंद्र को अपशब्द जिनमें -भंगी, नीच, भिखारी और मांगनी आदि शब्द कहे। इस दौरान हाथापाई भी हुई। इस पर सरकारी अधिकारी की ओर से अचल सिंह के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया था। इस मामले में चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे। इन चारों ने एससी-एसटी एक्ट के तहत लगे आरोप को चुनौती दी थी।

इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अपीलकर्ताओं का कहना था कि पीड़ित की जाति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यह तर्क दिया गया कि इस बात का कोई

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं है

सबूत नहीं है कि घटना सार्वजनिक रूप से हुई, गवाह महज अभियोजन पक्ष ही था। इधर, मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। इस दौरान इससे संबंधित कोई सबूत नहीं होने पर इसे झूठा बताया गया। इसके बाद इस पर चार्जेज फ्रेम हुए।

मामले की सुनवाई में अपीलकर्ता के वकील लीलाधर खत्री ने कहा कि अपीलकर्ता को अधिकारी के जाती के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके कोई सबूत भी नहीं मिले है कि ऐसे शब्द बोले गए और ये घटना भी जनता के बीच हुई हो। ऐसे में पुलिस की जांच में जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप सच नहीं माना गया।

ऐसे में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि भंगी, नीच, मांगनी और भिखारी शब्द जातिसूचक नहीं है और यह एससी- एसटी एक्ट में शामिल नहीं होगा। ऐसे में जातिसूचक शब्दों के आरोप के मामले में अपीलकर्ता को बरी किया लेकिन ड्यूटी करने वाले अधिकारियों को रोका गया है इस पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट के अनुसार यह शब्द जातिसूचक नहीं है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गालियां प्रतिवादी को अपमानित करने के इरादे से नहीं बल्कि अनुचित माप के लिए दी गई। याचिकाकर्ता का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से किए जा रहे माप के विरोध में था।

मायावती ने हाईकोर्ट के फैसले का किया विरोध

बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान की भजनलाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द एससी-एसटी एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असमाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टी की सरकार हो, खासकर दलितों व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहुत दूर, उनके खिलाफ जातिवादी द्वेष व जुल्म-ज्यादती की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी है।

राजनेता हमें छोटी.छोटी जाति में बांटने का प्रयास कर रहे हैं: संत गुरू रामभद्राचार्य

जयपुर में हुए 9 दिनों की रामकथा के दौरान संत गुरु रामभद्राचार्य ने भारत की आरक्षण प्रणाली को लेकर कई बातों को कहा। उन्होंने कहा कि आज छोटी-छोटी जातियों में हमारे राजनेता हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारों में अगर दम है तो वे जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को बंद करें।

उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जाति प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी।

> उन्होंने कहा कि देश में सरकारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जाति प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी।

देश में कोई भी एससी-एसटी, ओबीसी नहीं सब हिंदू हैं और भारतीय हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

सरकारों को जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर देना चाहिए। जयपुर में रामकथा के लिए पहुंचे जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, शत प्रतिशत नंबर लाकर सवर्ण का बच्चा जूता सीए और चार प्रतिशत लाकर एससी का बच्चा नौकरी पाए- इसको समाप्त करना हीं होगा और ये होगा, कोई एससी-एसटी, ओबीसी नहीं सब हिंदू एक है, सब भारतीय एक है।

अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उप वर्गीकरण की मांग को लेकर पूरे देश में अति दलित संगठन लामबंद

उत्तर प्रदेश

अति दलित समाज जल्द निकालेगा रथ यात्राएं - संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि यदि वर्गीकरण लागू नहीं होता है तो सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस के राष्ट्रीय प्रमुख वेरेश भीम अनार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब सरकारों ने इसे लागू कर दिया है।

राजस्थान

राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच के बैनर तले भील समाज ने विधायक प्रतापसिंह सिघवी को मुख्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौप कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में एसटी आरक्षण वर्गीकरण को राज्य सरकार से तुरंत प्रभाव से लागू करवाने का अनुरोध किया है। जिसमें कई तहसीलो के भील समाज के लोग मौजुद थे।

अध्यक्ष की कलम से

जागिए और जगाईये

प्रिय साथियों,

चीजे़ बदलती हैं। प्रयास किया जाये तो अवश्य बदलती हैं। समता आन्दोलन ने इस जुमले को सच करके दिखाया है। कांग्रेस ने 1995 में पदौन्नति में आरक्षण शुरू किला वो लगभग डेढ दशक तक चला। तब सबसे पहले समता आन्दोलन ने अदालत में कहा यह गलत है। और हमें प्रमाणित माना गया।

आज यू पी और उत्तराखण्ड में पदोन्नति में आरक्षण बन्द है। लेकिन इस विचार के जनक राजस्थान में चल रहा है। लेकिन घुमा-फिराकर । संभवत: हजारों उन कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ है जो इसे भूल चुके थे।

राजस्थान में भी इसे बन्द करवाया जा सकता है, बशर्ते पीड़ित पक्ष छोटी सी अर्जी लिख दे। उसके लिये कथ्य और तथ्य हम देंगे।

समता आन्दोलन की पहल का सबसे बड़ा लाम ये हुआ है कि सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियो की मांग ने पूरे देश का मानस मंथन कर दिया। परिणाम ये हुआ कि धीरे-धीरे करके पदोन्नति में आरक्षण बन्द करने की बात अपने आप आरक्षण बन्द करने का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया।

जाति आरक्षण का विरोध अब किसी जाति, समाज या समूह का नहीं बल्कि राष्ट्रीय जागरण का विषय बन गया है। इसलिये यह नितांत जरूरी है कि जागिये और जगाईये।

जय समता

सम्पादकीय

''आरक्षण एक अंधी सुरंग''

प्रश्न ये है कि-क्या समय आ गया है कि समझदार और समन्वयवादी लोग जाति आरक्षण के सामने अपने वैचारिक हथियार रखकर घुटनों पर बैठ जाये? वैसे अब जाति आरक्षण के स्थान पर मात्र आरक्षण शब्द का प्रयोग अधिक उचित लगता है। इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि सबसे बड़ी अदालत की सबसे बड़ी पीठ ने बहुत साल पहले ही पिछड़ेपन को जात से जोड़कर इसे जात आधारित आरक्षण बना दिया था। लेकिन अब तो क्षेत्र और धर्म के नाम पर भी आरक्षण न केवल मांगा जा रहा बल्कि प्रदेश सरकारों ने देना भी शुरू कर दिया है

जाति आरक्षण देश में से जातीय वैमनस्य को खत्म करने के लिये शुरू किया गया था। आशा थी कि इसी के माध्यम जातियां समाप्त होगी। लेकिन हुआ उल्टा ही। पहले जहाँ जातियों की संख्या दो हजार के आस पास थी वे अब बढ़कर लगभग दुगनी हो गई हैं। ये नई जातियाँ कहाँ से पैदा हो गई? इसका कारण जाति आरक्षण तो नहीं? एससी-एसटी, ओबीसी, एमबीसी, अति पिछड़ा, अति-अति पिछड़ा तक तो ठीक था। क्योंकि ये सब जातियाँ ही थीं। लेकिन अब धर्म के नाम पर मुस्लियों को आरक्षण देने की वकालत और उसका विरोध चल निकला है। मजे की बात ये है कि जब 1950 में आरक्षण लागु किया गया तब देश भी आबादी 33 करोड़ थी और आज बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। अर्थात अब लगभग 140 करोड़ लोग संविधान के होते हुए भी उनमें से एक भी अगड़ा घोषित नहीं किया जा सका है? जबकि चतुर्थ श्रेणी से लेकर देश के प्रथम नागरिक तक आरक्षित लोगों की पहुंच सहज हो चुकी है । विगत कथित दलित राष्ट्रपति से तो लिखित में प्रार्थना की गई थी कि वे अपना जाति सर्टिफिक्रेट देश को लौटाकर नज़ीर पेश करें। लेकिन आर टी आई अर्जी के बावजूद कुछ नहीं हुआ

जातिवाद को लेकर दोष कांग्रेस अथवा भाजपा पर रखा जा सकता है। लेकिन असली दोषी वो धौंसपट्टी की भावना है जो जातीय आरक्षण की मलाई चाट रही जातियों में बन चुकी क्रीमीलेयर की है। न केवल दोनों बड़ी पार्टियों अपितु क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त दल और मात्र रजिस्ट्रेशन नम्बर के सहारे चल रही पार्टियाँ भी इस क्रीमीलेयर धौंसपट्टी की शिकार हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पाने की मजबूरी से ग्रस्त हैं।

क्रीमीलेयर की धौंसपट्टी का बढ़िया उदाहरण राजस्थान में देखा जा सकता है। यह एकमात्र प्रदेश है जहाँ जाति के आधार पर विधानसभा की सीटें होनी चाहिये थी 56 लेकिन गणना के आधार पर 59 करवा ली गई हैं। 200 में से 59 आरक्षित सीटें कम नहीं होती है। फिर भी क्रीमीलेयर की धौंसपट्टी के चलते पार्टियों ने महुआ, दौसा, सवाईमाधोपुर की सामान्य सीटों पर सामान्य लोगों को टिकट ही नहीं दी और आरक्षित तबके की धौंसपट्टी के सामने घुटने टेक दिए ।

आजादी 75 साल मना चुका ये भारत देश यू एन की सीट के लिये हाथ पैर मार रहा है। लेकिन जातीय खोखलेपन का शिकार होने से बार-बार दरवाजे पर दस्तक सुनते ही लौटा दिया जाता है। अब समय जातीय गौरव का नहीं राष्ट्रीय गौरव का होना चाहिये। लेकिन पार्टियां इसे बोलती तो हैं,स्वीकारती नहीं।

- योगेश्वर झाड़सरिया

एएमयू पर एक और फैसले की प्रतीक्षा, एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए?

यक्ष प्रश्न यह है कि क्या स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए?

एएमयू पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का निहितार्थ क्या है? शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने 1967 के फैसले को 4-3 से पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। यह स्थापित सत्य है और स्वयं एएमयू की आधिकारिक वेबसाइट में इसका उल्लेख है कि यह विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान का विचारबीज है। 17 अक्टूबर 1817 को जन्मे सर सैयद अहमद खान 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों की सहायता की। उनका विश्वास जीतकर वह 1867-76 के बीच ब्रितानी अदालत में न्यायाधीश रहे। अप्रैल 1869 में सर सैयद को इंग्लैंड में 'आर्डर आफ द स्टार आफ इंडिया' से नवाजा गया, तो 1887 में लार्ड डफरिन ने उन्हें सिविल सेवा आयोग का सदस्य बना दिया। 'खान बहादुर' नाम से प्रख्यात सर सैयद की वफादारी से प्रमुदित ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें 1898 में ''नाइट'' की उपाधि दी। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय व्यवस्था की मांग उठनी शुरू हुई, तब ब्रितानियों के प्रति निष्ठावान सर सैयद ने मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम, हिंदी-उर्दू, संस्कृत-फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं के जरिये विचार स्थापित किया कि मुसलमान का कर्तव्य है कि वह अंग्रेजों के निकट और कांग्रेस से दूर रहे। इस अभियान में वह काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय मुख्यधारा, चेतना से कट चुका था और कालांतर में वह पाकिस्तान के लिए आंदोलित भी हुआ। इस चिंतन का सूत्रपात सर सैयद ने 16 मार्च 1888 को मेरठ में यह भाषण देकर किया, सोचिए यदि अंग्रेज भारत में नहीं है, तो कौन शासक होगा? क्या दो राष्ट्र- हिंदू और मुसलमान एक सिंहासन पर बराबर के अधिकार से बैठ सकेंगे? नहीं। आवश्यक है कि उनमें से एक, दूसरे को पराजित करें आखिर सात सौ सालों तक भारत में आपका साम्राज्य रहा है। आप जानते हैं कि शासन करना क्या होता है मुसलमानों का सच्चा मित्र केवल ईसाई ही हो सकता है हमें ऐसी व्यवस्था अपनानी होगी, जिससे अंग्रेज भारत में हमेशा के लिए राज कर सकें और सत्ता कभी भी बंगालियों के हाथों में न जाए।

सर सैयद कांग्रेस के नेताओं को अक्सर बंगालीश् कहकर तिरस्कृत करते थे, क्योंकि तब अधिकांश कांग्रेसी नेतृत्व बंगाल से था। अपनी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में सर सैयद ने 1875-77 के दौरान अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम और मुस्लिम-एंग्लो ओरिएंटल कालेज की स्थापना कर चुके थे, जिसे उनके निधन के 22 वर्ष बाद तत्कालीन ब्रितानी सरकार ने ''अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय'' का स्वरूप दिया। एएमयू का मूल उद्देश्य क्या था? 1930-33 में पाकिस्तान का खाका खींचने के बाद एएमयूए मुस्लिम लीग का अनौपचारिक राजनीतिक.वैचारिक प्रतिष्ठान बन गया। एएमयू छात्रसंघ ने कांग्रेस को फासीवादी बताते हुए 1941 में मजहब आधारित विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। जिन्ना ने 10 मार्च 1941 को एएमयू को पाकिस्तानी आयुधशाल् बताया, तो उसी वर्ष अगस्त में एएमयू छात्रों को संबोधित करते हुए लियाकत अली खान 'पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री' ने कहा, हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला.बारुद के रुप में देख रहे है।् कालांतर में हुए चुनावों में एएमयू छात्रों.शिक्षकों ने बढ़.चढ़कर मुस्लिम लीग का समर्थन किया। जो मुस्लिम नेता मौलाना आजाद और प्रो हुमायूं कबीर आदि तब विभाजन का विरोध कर रहे थे, उन पर एएमयू छात्रों ने मजहब का शत्रु मानते हुए हमला किया। विभाजन और स्वाधीनता पश्चात अपेक्षा थी कि या तो एएमयू बंद होगा या फिर इसके आधारभूत चिंतन में परिवर्तन आएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला किया। इसके एक दिन पहले तक एएमयू छात्र पाकिस्तानी सेना में भर्ती हो रहे थे। इसकी भनक लगते ही उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने गृहमंत्री सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी और विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया। मई 1953 को विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति जाकिर हुसैन ने नेहरू सरकार को जानकारी दी कि कई पाकिस्तानी एएमयू में दाखिला ले रहे हैं। अगस्त 1956 में एएमयू छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसी विश्वविद्यालय में अलगावादी तत्वों के बढ़ते प्रभाव के बीच जाकिर हुसैन ने कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया। जब 1965 में नवाब अली यावर जंग को एएमयू का अगला कुलपति नियुक्त किया गयाए तब छात्रों ने उन पर घातक हमला कर दिया, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें लगीं। एएमयू 2018 में भी अपने जिन्ना प्रेम के कारण विवादों में था।

स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और एएमयू के घोषित एजेंडे के बीच टकराव था। जब शेष भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था, तब एएमयू सर सैयद के दो-राष्ट्र सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में एक अलग इस्लामी देश. पाकिस्तान को जन्म दिया। एएमयू के इस चरित्र से स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पं नेहरू भी परिचित थे। 24 जनवरी, 1948 को एएमयू के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए नेहरू ने कहा था, मुझे अपनी विरासत और अपने पूर्वजों पर गर्व है, जिन्होंने भारत को बौद्धिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदान की।

आजादी के बाद स्वतंत्र भारत ने हाशिये पर पड़े समाज के उन वर्गों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय झेला था। इसके परिमार्जन के लिए सकारात्मक और दृढ़ कदम उठाते हुए संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। कांग्रेस सहित स्वयंभू सेक्युलरवादियों की अनुकंपा से एएमयू लगातार समाज के इन दोनों वर्गों समेत ओबीसी को भी संवैधानिक अधिकार देने से इन्कार करता रहा। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? यह वह प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए? देखना है कि एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की नई तीन सदस्यीय नई पीठ क्या फैसला करती है?

पौराणिक कथन : ''सप्तऋषि''

शतपथ ब्राह्मण में-
गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र,
जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप
और अत्रि।

मानवीयों का मान मिटा है,
संविधान का ध्यान घटा है ।
अब जाति आरक्षण से बंधु-
पूरा भारत देश बंटा है ।।

कविता

''मात्रता की पात्रता''

वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता।
सब संतापों से बचाया
भारत माँ की गोद बिठाया
लेकिन उनको समझ न आया
छोटा उनका पात्र था
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे छोड़े अपनी दीनता
दूर कर दें हीनता
त्यागें मन मलीनता
संज्ञान लें निज छात्र का
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे भी स्वयम् विवेक हो
सबकी तरह ही नेक हो,
कोई कहीं न ब्रेक हो,
निज की गिनें सुपात्रता।
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।
वे भी सभी के साथ हो
फिर से न वे अनाथ हो
अमृत बने नहीं क्वाथ हों,
गिनती में हो अभिजातृता.
वे, जो कर सकते थे
सब ये समान नेकता
अनेकता में एकता
मात्रता की पात्रता ।।

– समता डेस्क –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

यदि प्रशासकों की नियुक्ति और पदोन्नति जाति के आधार पर न करके योग्यता के आधार पर की जाती तो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों सहित सभी वर्गों की स्थिति उनकी वर्तमान स्थिति की अपेक्षा बेहतर, बहुत बेहतर होती।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

यदि पूरे प्रशासनिक ढाँचे का संचालन नौकरी और पदोन्नति के मामले में अधिकार-प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि कार्य, योग्यता तथा प्रदर्शन के आधार पर किया जाता तो क्या समस्त सामाजिक वर्गों की स्थिति बेहतर नहीं होती ?

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

हम स्वयं से ही क्यों नहीं पूछते कि पचास वर्षों से चली आ रही आरक्षण को व्यवस्था के बाद भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की स्थिति इससे ज्यादा क्यों नहीं सुधर सकी ?

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

हरियाणा- कोटे में कोटा से किन जातियों को मिलेगा इसका फायदा

अनुसूचित जातियों की अब दो श्रेणियां

अनुसूचित जातियों को अब दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली अन्य अनुसूचित जातियां और दूसरी वंचित अनुसूचित जातियां ''डीएससी''। सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से आधा यानी 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी।

अन्य अनुसूचित जाति में 15 जातियां

अन्य अनुसूचित जातियों में 15 जातियां शामिल की गई हैं। इनमें रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भटोई, भांबी इत्यादि जातियां शामिल हैं।

वंचित अनुसूचित जातियों में 66 जातियां

वंचित अनुसूचित जातियों ''डीएससी'' में 66 जातियां शामिल की गई हैं। इनमें वाल्मीकि, धानक, ओड, बाजीगर, मजहबी, मजहबी सिख, आद धर्मी. अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी, कोरी, कोलि, फरेरा-राय सिख, पासी, बटवाल, बरवाला, बौरिया, बावरिया, मेघ, मेघवाल, खटिक, कबीरपंथी, जुलाहा इत्यादि जातियां शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक अगस्त को 20 साल पुराना फैसला पलटते हुए व्यवस्था दी थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी-एसटी के ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही एससी-एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को चिन्हित कर आरक्षण से बाहर करने की जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य एससीए एसटी वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। उपवर्गीकरण वाली जातियों को 100 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता।

वर्गीकरण तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और कम प्रतिनिधित्व और ज्यादा जरूरतमंद साबित करने वाले आंकड़ों को एकत्र करने की जरूरत है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता उन वर्गों के उपवर्गीकरण की इजाजत देता है, जो समान स्थिति में नहीं हैं।

अनुच्छेद 16 '4' में आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण करने के लिए राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े होने चाहिए, जो कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के संकेत देते हों। हरियाणा सरकार ने कोटे में कोटा लागू कर वंचित अनुसूचित जातियों के लोगों को नौकरियों के समान अवसर उपलब्ध करवायेगा।

सरकारी सेवाओं में बराबर प्रतिनिधित्व जरूरी

वर्तमान में वंचित अनुसूचित जातियों का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में ग्रुप-ए, बी और सी में अन्य अनुसूचित जातियों को ज्यादा लाभ मिला है और ग्रुप-डी की सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों को अधिक लाभ मिला है। इस असमानता को खत्म करने, सभी को समान अवसर सुनिश्चित करने और सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उप-वर्गीकरण किया गया है।

हरियाणा में ग्रुप-सी की नौकरियों में आरक्षण बहाल करने की तैयारी में जुटी सरकार

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार एक बार फिर तृतीय श्रेणी के पदों पर खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा को बहाल करने की तैयारी कर रही है। अभी तक सिर्फ सात सरकारी विभागों में ही खिलाड़ियों की तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती किए जाने का प्रविधान है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना को अमलीजामा पहनाने पर मंथन शुरू कर दिया है।

हरियाणा की पूर्व मनोहर लाल सरकार के कार्यकाल के दौरान 30 अप्रैल 2019 को ग्रुप ए बी और सी श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण रोस्टर अनुसार तथा ग्रुप-डी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया था।

साल 2022 में सरकार के आदेश को पलट दिया गया

इसके तीन साल बाद 14 मार्च 2022 को सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए ग्रुप-ए, बी व सी में सीधी भर्ती पर खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया, जबकि ग्रुप- डी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा।

प्रदेश सरकार ने दोबारा 24 नवंबर 2022 को एक और पत्र जारी कर ग्रुप-सी में खिलाड़ियों के लिए गृह, सेकेंडरी शिक्षा,प्राइमरी शिक्षा और खेल विभाग समेत चार विभागों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया।

हरियाणा सरकार ने 22 अप्रैल 2023 को फिर नये निर्देश जारी किए, जिसमें इन चारों विभागों में जेल, वन तथा ऊर्जा विभाग को भी शामिल कर खिलाड़ियों को तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। अब खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सभी सरकारी विभागों में यह सुविधा मिलनी चाहिए।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी इसके पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद राजेश खुल्लर ने खेल विभाग और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत की।

अभी तक सात विभागों तक सीमित है आरक्षण

राजेश खुल्लर ने बैठक में यह जाना कि किस तरह ग्रुप-सी के सभी विभागों के सभी पदों में खिलाड़ियों का आरक्षण समाप्त किया गया था। बाद में कैसे ग्रुप-सी के पदों पर इसे बहाल किया गया और कैसे इस आरक्षण की सुविधा को मात्र सात सात विभागों गृह, सेकेंडरी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा खेल विभाग, जल, वन तथा उर्जा तक ही सीमित कर दिया गया।

यह भी जानकारी ली गई कि अभी तक इस पॉलिसी के तहत कितने पदों को भरा जा चुका है। इस बिंदु पर भी विचार विमर्श हुआ कि सभी विभागों के ग्रुप-सी के सभी पदों पर खेल आरक्षण बहाल करने के बाद कितने खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सकता है। इस संबंध में डाटा एकत्रित किया जा रहा है।

रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे।

नौकरी में बिल्कुल दृष्टिहीन उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए प्राथमिकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

मैसूर जिले के पेरियापटना तालुक में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली एक नेत्रहीन उम्मीदवार एचएन लता से जुड़े एक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि रोजगार के अवसरों में पूर्ण दृष्टिहीनता वाले व्यक्तियों को कम दृष्टि वाले व्यक्तियों की तुलना में वरीयता दी जानी चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बशर्ते ऐसे उम्मीदवारों की विकलांगता उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता में बाधा नहीं बननी चाहिए।

यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति सी एम जोशी की खंडपीठ ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पूर्व आदेश के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग की अपील को खारिज करते हुए किया।

नेत्रहीन उम्मीदवार एचएन लता के इर्द-गिर्द घूमता है मामला

यह मामला मैसूर जिले के पेरियापटना तालुक में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाली एक नेत्रहीन उम्मीदवार एचएन लता के इर्द-गिर्द घूमता है।

लता ने 2022 में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कन्नड़ और सामाजिक अध्ययन शिक्षक के पद के लिए आवेदन किया था। उनका नाम 8 मार्च, 2023 को जारी चयन सूची में शामिल किया गया था। हालांकि, 4 जुलाई, 2023 को उनका आवेदन खारिज कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने केएसएटी के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी।

न्यायाधिकरण ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया उन्हें 10,000 रुपये का खर्च देने का आदेश दिया और नियुक्ति प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर उनके आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

स्कूल शिक्षा विभाग का तर्क

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस निर्णय का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कम दृष्टि वाले और पूर्ण अंधेपन् वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को अलग-अलग श्रेणियों के रूप में माना जाना चाहिए। विभाग ने दावा किया कि न्यायाधिकरण ने इस अंतर को नजरअंदाज कर दिया है।

मामले की समीक्षा करने पर, उच्च न्यायालय की पीठ ने विभाग के रुख से असहमति जताई। न्यायाधीशों ने कहा कि हालांकि एक पूरी तरह से अंधे व्यक्ति द्वारा स्नातक प्राथमिक शिक्षक की जिम्मेदारियों को संभालने के बारे में चिंताएं हो सकती हैं, खासकर सामाजिक अध्ययन और कन्नड़ जैसे विषयों में, लेकिन इस तरह के तर्क अविश्वसनीय थे क्योंकि उम्मीदवार इस भूमिका के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता था।

न्यायालय ने दी इन व्यक्तित्व की मिसाल

न्यायालय ने दृष्टिहीन व्यक्तियों में अक्सर देखी जाने वाली सकारात्मक विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जैसे अनुकूलनशीलता, लचीलापन, मजबूत याददाश्त, बढ़ी हुई इंद्रियां और बेहतरीन मुकाबला कौशल। पीठ ने उल्लेखनीय ऐतिहासिक हस्तियों का हवाला दिया जिन्होंने दृष्टिहीन होने के बावजूद बड़ी सफलता हासिल की, जिनमें होमरए जॉन मिल्टन, लुई ब्रेल, हेलेन केलर और बोलेंट इंडस्ट्रीज के सीईओ श्रीकांत बोला शामिल हैं।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा विभाग को या तो पूर्ण दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट पद निर्धारित करने चाहिए थे, या उन्हें उपलब्ध पदों के लिए कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए थी।

न्यायाधिकरण के निर्देश को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने समावेशी नियुक्ति प्रथाओं की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें दृष्टिहीन उम्मीदवारों की क्षमताओं को मान्यता दी जाए।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in